

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024**

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on Behalf of the Respondent No. 3 in Compliance of order Dated 27.02.2025 Passed By the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	
2.	A copy of FSI Report annexed herewith and marked as Annexure-1	
3.	A copy of letter no. 3318/6E-2(NGT) dated 14.05.2025 issued by deponent to Chief Conservator of Forests, Meerut for status report annexed herewith and marked as Annexure-2	
4.	A copy of letter no. 1891/35-3 dated 23.05.2025 given a reply issued by Chief Conservator of Forests, Meerut as Annexure-3	
5.	A copy of letter no. 3467/6E-2-NGT dated 24.05.2025 issued by deponent to Chief Conservator of Forests, Meerut to give a further detailed status report annexed herewith and marked as Annexure-4	
6.	A copy of letter no. 1904/35-3 dated 26.05.2025 issued by Chief Conservator of Forests, Meerut for submitting detailed status report annexed herewith and marked as Annexure-5	
7.	A copy of brief tabular summary of Action Taken Report annexed herewith and marked as Annexure-6	



THROUGH COUNSEL
BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 27.05.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024



IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

...RESPONDENT(s)

UNION OF INDIA & ORS.

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Sunil Chaudhary, aged about 57 years, S/o Late Shri Lashkari Ram, posted as Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, State of Uttar Pradesh, Lucknow do hereby most solemnly state and affirm as under:

That I, Sunil Chaudhary, posted as Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, State of Uttar Pradesh, Lucknow fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present matter the Petitioner has alleged rampant deforestation and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in Bibipur Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur Hatia, Barnawi Akbarpur Sunheti and Rataund villages of Shamli District, Uttar Pradesh.

3. That on the last date of hearing i.e. 27.02.2025, the Hon'ble tribunal

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public

17/175 Ka/14, Near Majar Devi Des Mart

Niwai Ganj, Chowk Lucknow

Reg. No. 31(89)09

27 MAY 2025

directed the Deponent to file the present affidavit keeping in view the observations made by the Hon'ble Tribunal. The operative paragraph of the order dated 27.02.2025 is stated below:

"...4. In the affidavit, it is not mentioned how these encroachments had taken place when it was the responsibility of the forest officers to protect the reserved forest. Learned Counsel appearing for Respondent No. 7 does not dispute that it was the responsibility of the DFO, Shamli to ensure that no encroachment in the reserved forest within his jurisdiction takes place. The overall responsibility of the PCCF of the State is also not in dispute. Hence, Respondent No. 3- PCCF and Respondent No. 7- DFO, Shamli, will file an affidavit furnishing the explanation as to how the encroachment had taken place in the reserved forest and who is the official responsible for facilitating such encroachment or on whose dereliction of duties it has taken place. They will also disclose the timeline for completing the survey for identification of encroachment in the entire reserved forest land under question and clearing the encroachment. It is submitted by the counsel for Respondent No. 7 that this exercise will be completed within twelve weeks. Hence, we direct, the above Respondents to take expeditious action and file the compliance affidavit, keeping in view the observations made above, within a period of six weeks..."

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Mejar Devi Das Marg,
Niwai Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 431/1999

That the actions taken and the explanations regarding the observations made

27 MAR 2025 by the Hon'ble Tribunal are as follows:

I. BACKGROUND AND DETAILS


5. The total area of reserve forest land in Shamli is 4341.395 hectares out of which 279.477 ha area has been notified under Section 20 of the Indian

[Handwritten signature]

Forest Act 1927, and 4061.918 ha area notified under section 4 of Indian Forest Act 1927 is under forest settlement process.

6. The petitioner has raised question of encroachment in seven villages of forest land in Shamli forest division, which are following.

S. No.	Village name as mentioned in O.A. 915/2024	Total number of khasra of the forest department as mentioned in OA 915/2024	Forest land area in total khasra as mentioned in OA 915/2024, (in Ha)	Total forest land notified u/s 20 of IFA, 1927 (in Ha)	Total forest land notified u/s 4 of IFA, 1927 (in Ha)
1-	Bibipur Jalalabad	70	113.999	113.999	-
2-	Paoti khurd	96	127.566	127.566	-
Total		166	241.565	241.565	-
3-	Dabhedi bujurg	64	53.471	-	53.471
4-	Ratond	43	52.106	-	52.106
5-	Akbarpur sunehti	-	-	-	-
6-	Barnavi	180	117.778	-	117.778
7-	Bibipur hatia	73	40.416	-	40.416
Total		360	263.771	241.565	263.771
Grand total		526	505.336	241.565	263.771



SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
M7/175 Kal/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg. No. 31(89)09

27 MAY 2025

7. It is pertinent to mention here that as per ISFR 2023 issued by Forest Survey of India that the forest cover in Shamli Forest Division has increased from 1.54 percent to 1.94 percent, indicating a growth of 0.40 percent of forest cover in the Geographical area of district Shamli goes against the statement by petitioner. This clearly demonstrates the positive results of afforestation in the district.

A copy of relevant portion of FSI report annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

II. ACTION TAKEN

8. That in Compliance of Hon'ble Tribunal's order dated 27.02.2025 deponent has issued a letter no. 3318/6E-2(NGT) dated 14.05.2025 (**ANNEXURE-2**) to Chief Conservator of Forests, Meerut to investigate the matter and send the status report. Chief Conservator of Forests, Meerut vide his letter no. 1891/35-3 dated 23.05.2025 (**ANNEXURE-3**) given a reply to the above mentioned letter dated 14.05.2025. After that the deponent again written to Chief Conservator of Forests, Meerut to give a further detailed status report to the deponent vide letter no. 3467/6E-2-NGT dated 24.05.2025 (**ANNEXURE-4**).

9. That Chief Conservator of Forests, Meerut has given a status report with details vide letter no 1904/35-3 dated 26.05.2025.

A copy of letter dated 26.05.2025 annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.


SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
Kai/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwai Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31 (89) 09

27 MAY 2025

[Handwritten Signature]

(i) That, the survey and demarcation work regarding reserve forest mentioned in the present Original Application for Shamli division is under process. Till now 199.466 ha. of forest land has been surveyed out of 505.336 ha. reserved forest land, mentioned in the petition. The encroachment was found on 3.901 ha. out of which 3.778 ha. land has been made encroachment free and taken into possession by the forest department. Restoration of the encroached land is underway. Action for removing permanent structure encroachment on 0.1262 ha. is carried out under relevant provision of Indian Forest Act, 1927. The detail for the same has been filed by DFO Shamli in his affidavit.

(ii) That, the survey and demarcation for the remaining 350 *Khasra* is to be completed within area of 305.87 ha. With regards to the same, vide order dated 16.05.2025 DM Shamli has fixed a timeline of 177 days (25weeks) to complete the survey and demarcation, subject to the cooperation between the Forest Department and the Revenue Department. It is noteworthy to mention that specific land details regarding the *khasra* number is not available in the section 4 notification of the reserved forest under IFA, 1927 (as amended). Therefore, a joint survey with the revenue department is under process.



SURESH KUMAR
 Advocate & Notary Public
 617/16 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg,
 Nawai Gani, Chowk Lucknow
 Reg. No. 31(89)09


27 MAY 2025

(iii) That, the based on this report the details and Action Taken Report

(ANNEXURE-6) can be summarized as given below:-

A brief tabular summary of the key proceedings-

S. No.	Details of all areas mentioned in OA 915/2024	Notified u/s 20 of Indian Forest Act		Notified u/s 20 of Indian Forest Act		Total Notified Forest Land	
		Nos.	Area (Ha.)	Nos.	Area (Ha.)	Nos.	Area (Ha.)
		1.	All Plots	166	241.565	360	263.73
2.	Surveyed Plots	66	116.457	110	83.009	176	199.466
3.	Remaining Plots	100	125.108	250	180.762	350	305.87
4.	Encroachment Found 3.9010 Ha., which is about 2 % of the area surveyed						
5.	Action taken regarding encroached land-						
	<ul style="list-style-type: none"> 3.7748 Ha. of encroachment is removed which is 96.76 % of the total encroachment of surveyed area. Proceeding u/s 61(b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare which contain pakka makan/ structure on forest land . 						
6.	<p>Time required for the survey of remaining khasras of the forest department</p> <p>DM Shamli on the request of DFO Shamli, has fixed the timeline for the survey which takes about 25 weeks.</p>						
7.	Other Action Taken						
	<ul style="list-style-type: none"> A Joint Team comprising officials from Revenue and Forest Department has been constituted for survey of Forest land. Three H-2 cases for forest offences have been registered by Shamli Forest Division against various persons for encroachment of Forest land. Disciplinary proceedings also have been initiated against the concerned officers. 						




SURESH KUMAR
 Advocate & Notary Public
 17/175 KA/14, Near Major Dev Das Marg
 Nisar Ganj, Chouk Lucknow
 Reg. No. 31/89109

27 MAY 2025


10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 27 day of May, 2025,
that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 25 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT


Solemnly affirmed before me in office today at 1:40 pm Sunil Chandhary who is identified by Self Clerk to Shri Self. I have satisfied my self by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read out and explained by me.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
117/175 Ka/14, Me... Das Marg
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg. No. 31(89)09

27 MAY 2025

10.27

UTTAR PRADESH

**Geographical Area**2,40,928 km²**Geographical Coordinates**

Latitude 23°52' N to 31°28' N

Longitude 77°30' E to 84°39' E

Population (as per Census 2011)

199.81 million

Urban 44.50 million (22.27%)

Rural 155.31 million (77.73%)

Tribal 1.13 million (0.57%)

Average Population Density829 per km²**Livestock Population**(as per 19th Livestock Census)

68.71 million

No. of Districts

75

No. of Hill Districts

0

No. of Tribal Districts

1

Table 10.27.1 Land Use Pattern

Land Use Types	Area (in '000 ha)	Percentage
Geographical Area	24,093	
Reporting area for land utilization	23,513.81	100.00
Forests	1,772.24	7.54
Not available for land cultivation	3,407.16	14.49
Permanent pastures and other grazing lands	70.15	0.30
Land under misc. tree crops and groves	237.25	1.01
Culturable wasteland	369.07	1.57
Fallow land other than current fallows	595.54	2.53
Current fallows	966.49	4.11
Net area sown	16,095.91	68.45

Source: Land Use Statistics, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, GOI, (2021-22).

10.27.1 Forest Cover




Table 10.27.2 Forest Cover of Uttar Pradesh

			(km ²)
Class	Area	% of Calculated Area by Sol	
VDF	2,688.73	1.12	
MDF	4,001.41	1.66	
OF	8,355.66	3.46	
Total	15,045.80	6.24	
Scrub	639.51	0.27	

Figure 10.27.1 Forest Cover of Uttar Pradesh

Table 10.27.3 District-wise Forest Cover in Uttar Pradesh

									(km ²)
District	Calculated Area by Sol	2023 Assessment				% of Calculated Area by Sol	Change w.r.t. 2021 Raster based*	Scrub	
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total				
Agra	4,027.03	0.00	67.62	207.11	274.73	6.82	12.90	63.42	
Aligarh	3,650.25	0.00	6.77	52.86	59.63	1.63	-5.19	1.08	
Ambedkar Nagar	2,350.00	0.00	1.29	43.19	44.48	1.89	3.39	0.51	
Amethi	3,060.00	4.57	3.12	64.80	72.49	2.37	2.21	0.01	
Amroha/ Jyotiba Phule Nagar	2,408.56	0.00	34.64	92.14	126.78	5.26	31.44	1.94	
Auraiya	2,016.00	0.00	5.08	40.74	45.82	2.27	1.69	13.09	
Ayodhya/ Faizabad	2,341.00	6.86	12.49	87.07	106.42	4.55	4.33	0.80	
Azamgarh	4,054.00	0.00	1.09	46.10	47.19	1.16	-1.56	0.00	
Baghpat	1,321.38	0.00	3.52	11.96	15.48	1.17	-0.32	0.00	
Bahraich	5,237.00	223.69	149.17	158.55	531.41	10.15	1.65	4.27	
Ballia	2,981.00	0.00	0.14	20.90	21.04	0.71	-3.45	0.00	
Balrampur	3,349.00	293.49	155.24	106.92	555.65	16.59	11.04	7.58	
Banda	4,408.00	0.00	50.92	50.41	101.33	2.30	-2.69	2.05	
Bara Banki	4,402.00	3.58	5.71	94.70	103.99	2.36	1.99	3.98	
Bareilly	4,120.43	0.00	6.83	32.24	39.07	0.95	-5.44	0.00	
Basti	2,688.00	0.15	5.14	33.62	38.91	1.45	8.02	0.04	
Bhadohi/ Sant Ravidas Nagar	1,015.00	0.00	0.28	4.94	5.22	0.51	0.00	0.00	
Bijnor	4,561.15	38.65	212.03	167.31	417.99	9.16	13.53	5.49	
Budaun	4,378.05	0.00	4.75	23.15	27.90	0.64	-2.81	6.36	
Bulandshahr	3,431.04	0.00	42.61	98.92	141.53	4.12	5.71	0.13	
Chandauli	2,541.00	7.69	183.17	358.64	549.50	21.63	-0.81	1.85	
Chitrakoot	3,216.00	80.53	314.81	241.22	636.56	19.79	5.86	33.12	
Deoria	2,540.00	0.00	1.13	19.19	20.32	0.80	4.78	0.00	
Etah	2,490.43	0.00	0.35	20.47	20.82	0.84	-3.15	0.08	
Etawah	2,310.58	0.00	63.20	223.59	286.79	12.41	28.84	43.97	
Farrukhabad	2,181.07	0.00	14.05	36.44	50.49	2.31	0.71	1.63	
Fatehpur	4,169.00	0.00	19.24	37.77	57.01	1.37	-0.05	2.38	
Firozabad	2,360.82	0.00	4.44	56.53	60.97	2.58	2.12	24.10	



Table 10.27.3 District- wise Forest Cover in Uttar Pradesh

District	Calculated Area by Sol	2023 Assessment				% of Calculated Area by Sol	Change w.r.t. 2021 Raster based*	Scrub
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total			
Gautam Buddha Nagar	1,441.86	0.00	4.45	18.32	22.77	1.58	-0.05	0.00
Ghaziabad	891.61	0.00	7.90	13.12	21.02	2.36	0.03	0.00
Ghazipur	3,377.00	0.00	0.58	23.77	24.35	0.72	-3.86	0.00
Gonda	4,003.00	64.93	9.03	52.97	126.93	3.17	1.29	0.46
Gorakhpur	3,321.00	27.98	21.60	24.91	74.49	2.24	-2.41	0.00
Hamirpur	4,021.00	0.00	77.21	145.97	223.18	5.55	1.66	14.15
Hapur	1,106.67	0.00	6.72	21.09	27.81	2.51	5.72	1.17
Hardoi	5,985.66	0.00	15.62	129.58	145.20	2.43	-1.18	9.36
Hathras/ Mahamaya Nagar	1,840.49	0.00	0.58	21.51	22.09	1.20	-4.15	0.20
Jalaun	4,565.00	0.00	60.66	195.83	256.49	5.62	6.41	53.03
Jaunpur	4,038.00	0.00	10.06	53.94	64.00	1.58	-6.75	0.31
Jhansi	5,024.00	0.00	57.11	284.21	341.32	6.79	34.79	66.79
Kannauj	2,092.87	0.00	0.00	25.61	25.61	1.22	-2.73	0.25
Kanpur Dehat	3,021.00	0.00	3.05	44.01	47.06	1.56	-24.70	16.18
Kanpur Nagar	3,155.00	0.00	8.53	61.59	70.12	2.22	25.29	3.39
Kasganj/ Kanshiram Nagar	1,955.28	0.00	5.37	36.60	41.97	2.15	-10.11	0.11
Kaushambi	1,779.00	0.00	4.35	29.15	33.50	1.88	1.15	0.00
Kheri	7,680.44	805.14	157.70	271.29	1,234.13	16.07	-27.66	8.22
Kushinagar	2,905.00	0.07	2.97	32.13	35.17	1.21	-0.93	0.00
Lalitpur	5,039.00	0.00	127.26	449.79	577.05	11.45	0.00	33.24
Lucknow	2,528.00	0.00	161.18	240.08	401.26	15.87	2.62	8.09
Mahoba	3,144.00	0.00	21.22	151.03	172.25	5.48	2.84	60.55
Mahrajganj	2,952.00	262.28	92.72	71.17	426.17	14.44	-0.66	0.32
Mainpuri	2,760.04	0.00	0.19	17.23	17.42	0.63	1.47	0.00
Mathura	3,339.64	0.00	3.90	49.44	53.34	1.60	-2.15	3.11
Mau	1,713.00	0.00	0.23	11.14	11.37	0.66	0.00	0.00
Meerut	2,500.86	0.00	34.59	56.74	91.33	3.65	5.22	0.00
Mirzapur	4,405.00	8.38	278.51	450.02	736.91	16.73	-2.00	46.59
Moradabad	2,009.40	0.00	3.50	14.23	17.73	0.88	0.82	0.12
Muzaffarnagar	2,750.86	0.00	8.43	45.63	54.06	1.97	5.16	2.71
Pilibhit	3,498.90	486.20	81.75	105.89	673.84	19.26	-21.61	9.92
Pratapgarh	3,717.00	0.00	26.94	97.29	124.23	3.34	0.56	1.63
Prayagraj/ Allahabad	5,482.00	6.28	25.01	134.94	166.23	3.03	4.94	26.67
Raebareli	3,289.00	0.00	2.72	87.10	89.82	2.73	3.80	3.65
Rampur	2,366.58	3.89	24.61	40.49	68.99	2.92	-3.83	0.00
Saharanpur	3,688.96	0.00	182.13	342.87	525.00	14.23	9.07	0.81
Sambhal	2,497.95	0.00	0.74	11.73	12.47	0.50	2.79	0.00
Sant Kabir Nagar	1,646.00	0.00	1.16	12.97	14.13	0.86	0.00	1.17
Shahjahanpur	4,575.24	26.15	5.47	28.77	60.39	1.32	2.25	0.79
Shamli	1,257.46	0.00	3.96	20.43	24.39	1.94	1.54	1.21
Shravasti	1,640.00	197.72	99.29	46.56	343.57	20.95	2.29	0.27

Table 10.27.3 District- wise Forest Cover in Uttar Pradesh

District	Calculated Area by Sol	2023 Assessment				% of Calculated Area by Sol	Change w.r.t. 2021 Raster based*	Scrub
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total			
Siddharthnagar	2,895.00	0.00	11.04	38.65	49.69	1.72	2.61	0.13
Sitapur	5,743.00	0.00	18.77	182.40	201.17	3.50	-1.20	4.62
Sonbhadra	6,905.00	140.50	927.26	1,340.11	2,407.87	34.87	0.66	42.12
Sultanpur	2,679.00	0.00	6.65	130.87	137.52	5.13	-7.55	0.03
Unnao	4,558.00	0.00	28.32	246.06	274.38	6.02	2.24	0.26
Varanasi	1,535.00	0.00	1.54	14.95	16.49	1.07	0.00	0.00
Grand Total	2,40,927.56	2,688.73	4,001.41	8,355.66	15,045.80	6.24	118.43	639.51

*Area figure calculated without normalization factor.

10.27.2 Forest Cover Inside and Outside Recorded Forest Area (or Green Wash)

The Forest Cover inside and outside Recorded Forest Area (RFA) has been analysed in different categories and presented in table given below.

Table 10.27.4 Forest Cover Inside and Outside Recorded Forest Area (or Green Wash) in Uttar Pradesh

Forest Cover Inside the Recorded Forest Area (or Green Wash)				Forest Cover Outside the Recorded Forest Area (or Green Wash)			
VDF	MDF	OF	Total	VDF	MDF	OF	Total
2,537.81	3,041.49	3,759.46	9,338.76	150.92	959.92	4,596.20	5,707.04
27.17%	32.57%	40.26%		2.64%	16.82%	80.54%	

*In case of Uttar Pradesh, Green Wash boundaries have been used.




Figure 10.27.2 Forest Cover Inside and Outside of Green Wash in Uttar Pradesh

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक-को०के० ३३४ / ६ई-२ (एन०जी०टी०), दिनांक, लखनऊ, मई ११, २०२५.

सेवा में,

श्री एन०के० जानू,
मुख्य वन संरक्षक (पर्यवेक्षक अधिकारी),
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

PRIORITY

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-९१५/२०२४ अमित कुमार
बनाम यूनिशन ऑफ इंडिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- मा० एन०जी०टी० का आदेश दिनांक २७.०२.२०२५.

विषयक प्रकरण शामिल वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि के अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित है, जो मा० एन०जी०टी० में श्री अमित कुमार ने दायर किया गया है।

A. उपरोक्त ओ०ए० संख्या-९१५/२०२४ में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक २७.०२.२०२५ (स्कैन प्रति संलग्न ईमेल पर) में मा० अधिकरण ने Observation जो दिये हैं, जो निम्न उल्लिखित हैं-

पैरा-१ में*Original Application the Applicant has alleged rampant deforestation and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in Bibipur Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedli, Bibipur, Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti and Rataund villages of Shamli District, Uttar Pradesh.....*

पैरा-२ में*an Affidavit on behalf of the DFO, Shamli dated 25.02.2025 has been filed stating that there is total 526 Khasra numbers in the vicinity of 7 different villages out of which the survey/ measurement of 154 Khasra numbers has been done. Learned Counsel for Respondent No. 7-DFO, Shamli submits that the area of 497 hectares is covered by 256 Khasra numbers and the remaining area after completing the survey of 154 Khasra numbers is 310 hectares which is yet to be surveyed. Though he has submitted that officers of the Revenue Departments are not cooperating, but it is not in dispute that the entire area is reserved forest, and Annexure 2 enclosed with OA contains complete details of the reserved forest area. The issue is also in respect of the encroachment on the reserved forest. Thus, it is the sole responsibility of the Forest Officers to ensure that no encroachment on reserved forest takes place and to clear such an encroachment if existing.....*

पैरा-३ में..... *DFO, Shamli has not disclosed the action that has been taken in respect of the encroachment found on 154 Khasra number which has already been surveyed. The affidavit also does not disclose any timeline for completing the survey and identification of the encroachment in the remaining Khasra numbers....*

पैरा-४ में..... *it was the responsibility of the DFO, Shamli to ensure that no encroachment in the reserved forest within his jurisdiction takes place.....*

B -मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक २७.०२.२०२५ (स्कैन प्रति ईमेल पर) में निम्न आदेश/अपेक्षाएँ की हैं, जो उद्धृत हैं-

(I) पैरा-४ में Hence, Respondent No. 3-PCCF and Respondent No. 7-DFO, Shamli, will file an affidavit furnishing the explanation as to how the encroachment had taken place in the reserved forest.....

(II) पैरा-४ मेंand who is the official responsible for facilitating such encroachment or on whose dereliction of duties it has taken place.....

(III) पैरा-४ में They will also disclose the timeline for completing the survey for identification of encroachment in the entire reserved forest land under question and clearing the encroachment.-----

(IV) पैरा-४ में It is submitted by the counsel for Respondent No. 7 that this exercise will be completed within twelve weeks. Hence, we direct, the above Respondents to take expeditious action and file the compliance affidavit, keeping in view the observations made above, within a period of six weeks.

C - आपके अधीनस्थ कार्य क्षेत्रान्तर्गत "शामली वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण आदि पाया गया" जिसे मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 27.02.2025 में उल्लेख है।

ज्ञातव्य है कि आप मुख्य वन संरक्षक, मेरठ जोन, मेरठ के शामली वन प्रभाग के पर्यवेक्षणीय एवं नियंत्रक अधिकारी हैं। शामली वन प्रभाग की वन भूमि पर अतिक्रमण पाया जाना एवं मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 27.02.2025 के लगभग-ढाई माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आपके स्तर से कोई भी विस्तृत रिपोर्ट/टोस कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उच्चस्तर पर संसूचित किया गया, जो प्रथम दृष्टया आपकी उदासीनता एवं शिथिलता का द्योतक है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोर अप्रसन्ना व्यक्त की जाती है। इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण भी अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16.05.2025 तक निम्न आख्या/सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये-

(अ) मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 27.02.2025 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-A पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में आपके स्तर से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कब-कब ब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? Action taken report की विस्तृत बिन्दुवार आख्या।

(ब) मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 27.02.2025 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-B पर I से IV पर विस्तृत सुस्पष्ट रिपोर्ट/सूचना।

(स) आप अपना स्पष्टीकरण बिन्दु-C पर।

अतः आप स्वयं व प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, के साथ प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों (प्रकरण की dates & events व संक्षिप्त इतिहास के साथ) सहित, उक्त सूचना अ, ब के साथ एवं अपना स्पष्टीकरण (बिन्दु-C) के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 19.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होकर वाद की सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करें। यदि वाद में कोई विषम स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
संलग्नक-यथोपरि (स्कैन प्रति ईमेल पर)

PRIORITY

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 3318 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अभिलेखों सहित उक्त सूचना अ, ब एवं द तक के साथ दिनांक 19.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपने अधिकारी पर्यवेक्षक अधिकारी/नोडल अधिकारी के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें एवं आपके शामली वन प्रभाग में पाये गये वन भूमि पर अतिक्रमण पर अपना स्पष्टीकरण एवं बरती गयी लापरवाही पर क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाये। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण अपने मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

PRIORITY

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या- 3318 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में दिनांक 19.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें-

1. मुख्य वन संरक्षक, भू अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग (कोर्टकेस), उ0प्र0, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ
पत्रांक 1891 /35-3 मेरठ, दिनांक 23.05.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम
यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बंध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक को0के0 3318/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 14.05.2025 तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय
निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का पत्रांक 3722/14-1 दिनांक 23.05.2025।

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 14.05.2025 के अनुपालन में विषयांकित ओ0ए0 संख्या-915/2024 श्री
अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 27.02.2025 को पारित आदेश के क्रम में वन संरक्षक/क्षेत्रीय
निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.05.2025 द्वारा आख्या/स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया
है, जिसके क्रम में बिन्दुवार आख्या/स्पष्टीकरण निम्नवत प्रेषित है:-

1-बिन्दु संख्या-(ए)- उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी शामली द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में वृत्त एवं
जोन कार्यालय को पूर्व में संसूचित नहीं किया गया। मा0 एन0जी0टी0 में उक्त ओ0ए0 दायर होने के उपरान्त प्रकरण
में आवश्यक कार्यवाही हेतु समय समय पर मौखिक एवं लिखित रूप से प्रभागीय वनाधिकारी शामली को निर्देशित किया
जाता रहा है। उक्त क्रम में इस कार्यालय के इस कार्यालय के पत्रांक 1821/35-3 दिनांक 14.05.202 एवं पत्रांक
शिविर-06 दिनांक 15.05.2025 तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर के कार्यालय के (1)पत्रांक 2715/35-3
दिनांक 05.03.2025, (2)पत्रांक 3225/35-3 दिनांक 14.04.2025, (3)पत्रांक 3542/35-3(NGT) दिनांक 08.05.2025,
(4)पत्रांक 3636/35-3 दिनांक 15.05.2025 एवं (5)पत्रांक 3663/35-3 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्रकरण में प्रभागीय
वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग से अद्यतन प्रगति से अवगत न कराये जाने की दशा में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया,
जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण अपने कार्यालय पत्रांक 2241/14-1 दिनांक 20.05.2025 जो वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सम्बोधित है, प्रेषित किया गया है (संलग्नक-1)।

दिनांक 12.05.2025 तक कराये गये सर्वेक्षण के दौरान ग्रामवार पाये गये अतिक्रमण एवं खाली कराये
गये अतिक्रमण का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित वन भूमि का विवरण		सर्वेक्षण के दौरान वन भूमि पर पाये गये अतिक्रमण का विवरण			
		कुल खसरा संख्या	क्ष0फ0 हे0 में	कुल खसरा संख्या	पाया गया कुल अतिक्रमण हे0 में।	खाली करा गया अतिक्रमण (हे0)	खाली कराये जाने हेतु अवशेष अतिक्रमण (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दभेड़ी बुजुर्ग	64	53.471	12	2.7719	2.7719	0
2	बीबीपुर जलालाबाद	55	98.294	10	0.5023	0.3761	0.1262
3	बरनावी	24	17.133	09	0.3342	0.3342	0
4	पावटी खुर्द	11	18.163	05	0.1566	0.1566	0
5	बीबीपुर हटिया	22	12.405	06	0.136	0.136	0
	योग	176	199.466	42	3.9010	3.7748	0.1262

उक्त क्रम में एक्शन टेकन रिपोर्ट निम्नवत है:-

(1) 0.1262 है वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये 16 व्यक्तियों के विरुद्ध 03 एच-2 केस भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

(i). भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 12/2024-25 दिनांक 12.11.2024, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). सुनील कुमार पुत्र वृजपाल (2) जगवीर पुत्र राज सिंह (3) रमेश चन्द्र पुत्र रतन सिंह।

(ii) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 13/2024-25 दिनांक 2.12.2024, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). कमल पुत्र होता (2) हरदीप पुत्र चैनसिंह (3) संदीप पुत्र बलिहर सिंह, (4) रणजीत सिंह पुत्र आलम जीत सिंह (5) देशपाल पुत्र ब्रजपाल।

(iii) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 17/2024-25 दिनांक 26.03.2025, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). जगपाल पुत्र रहतू (2) मांगा पुत्र रामा (3) कबिता पत्नी प्रेम (4) मांगा पुत्र आशा (5) मोहर सिंह पुत्र आशा (6) मुकेश पुत्र सीरया (7) विलेन्द्र पुत्र जगदीश (8) रामफल पुत्र रामा।

उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत करने के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली के स्तर से अपराधियों को नोटिस जारी करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है (संलग्नक-2)।

उक्त क्षेत्र में तैनात रहे सम्बन्धित बीट प्रभारियों/सैक्शन प्रभारियों/क्षेत्रीय वनाधिकारियों से इस वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर एवं इस कार्यालय द्वारा निर्देशों के क्रम में प्रभाग स्तर से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को मौखिक एवं इस कार्यालय के पत्रांक (1)249/35-3 दिनांक 14.08.2024, (2)पत्रांक 386/2-1 दिनांक 09.09.2024, (3)पत्रांक 644/35-3 दिनांक 19.10.2024 एवं (4)पत्रांक 645/35-3 दिनांक 19.10.2024 तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्रांक (1)पत्रांक 536/35-3 दिनांक 12.08.2024, (2)पत्रांक 559/35-3 दिनांक 13.08.2024, (3)पत्रांक 583/35-3 दिनांक 14.08.2024, (4)पत्रांक 583/35-3 दिनांक 14.08.2024, (5)पत्रांक 706/35-3 दिनांक 02.09.2024, (6)पत्रांक 663/2-1 दिनांक 28.08.2024, (7)पत्रांक 794/2-1 दिनांक 09.09.2024, (8)पत्रांक 920/35-3 दिनांक 18.09.2024, (9)पत्रांक 1226/35-3 दिनांक 15.10.2024, (10)पत्रांक 1239/35-3 दिनांक 18.10.2024, (11)पत्रांक 1406/35-3 दिनांक 06.11.2024, (12)पत्रांक 1424/35-3 दिनांक 06.11.2024, (13)पत्रांक 2608/35-3 दिनांक 24.02.2025, (14)पत्रांक 2715/35-3 दिनांक 05.03.2025, (15) पत्रांक 3225/14-1 दिनांक 14.04.2025, (16)पत्रांक 3542/35-3 दिनांक 08.05.2025, (17)पत्रांक 3636/35-3 दिनांक 15.05.2025 एवं (18)पत्रांक 3663/35-3 दिनांक 19.05.2025 द्वारा तत्काल नियमानुसार विधिक/आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2-मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित बिन्दु सं0-B (I से iv) से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है:-

1-अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा अपना प्रतिशपथ पत्र

से अवगत कराना सम्भव नहीं हो सका, जिसके लिये प्रभागीय वनाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना उचित होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा उनके प्रभाग से सम्बन्धित प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में पूर्व में कभी भी इस कार्यालय को संसूचित नहीं किया गया है। प्रकरण प्रकाश में आने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के स्तर से त्वरित कार्यवाही की गयी तथा उक्त उल्लेखित पत्रों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को कड़े निर्देश दिये गये। वर्तमान तक प्रकाश में आये 3.9010 है० अतिक्रमण के सापेक्ष 3.7748 है० अतिक्रमण को विभागीय कार्यवाही करते हुये खाली कराया गया है, तथा शेष 0.1262 है० अतिक्रमण को खाली कराये जाने हेतु भा०व०अ०-1927 की धारा 61(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रभाग स्तर से की जा रही है। उक्त क्षेत्र में तैनात रहे सम्बन्धित बीट प्रभारियों/सेक्शन प्रभारियों/क्षेत्रीय वनाधिकारियों से अधोहस्ताक्षरी एवं वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के स्तर से निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रभाग स्तर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शीघ्र ही उक्त अतिक्रमण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उचित उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उक्त क्रम में यह भी अवगत कराना उचित होगा कि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी वन भूमि (3.7748 है०) की सुरक्षा के दृष्टिगत, सुरक्षात्मक खाईयों का निर्माण कर वन भूमि को सुरक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त वृक्षारोपण सत्र माह जुलाई 2025 के दौरान वन भूमि की उचित बहाली के लिए वृक्षारोपण कार्य भी किया जायेगा। अवशेष 350 खसरें जिनका क्षेत्रफल 305.87 है० है की पैमाईस का कार्य प्रभाग स्तर पर किया जाना शेष है, जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा उप जिलाधिकारी, कैराना व जिलाधिकारी, शामली से समन्वय कर लिखित रूप से उक्त सर्वे को पूर्ण करने हेतु टाईमलाईन जारी करायी गयी है। साथ ही सर्वे करने हेतु तहसीलदार, कैराना के स्तर से संयुक्त रूप से टीम का गठन किया गया है। अवशेष 350 खसरों में वन भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर उसे खाली कराया जायेगा एवं इसी वर्ष उक्त भूमि पर अग्रिम मृदा कार्य कराकर शीतकालीन सत्र में वृक्षारोपण भी किया जायेगा। उपरोक्त विषयक प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सघन अनुश्रवण करतु हये प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः स्पष्टीकरण आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०के० जानू),

मुख्य वन संरक्षक,

पश्चिमी क्षेत्र,

उत्तर प्रदेश, मेरठ।

II- अवगत कराना है कि वन भूमि पर किसी भी अतिक्रमण का पता राजस्व और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उचित सर्वेक्षण एवं सीमांकन के बाद ही लगाया जा सकता है। चूंकि उपलब्ध गूगल अर्थ इमेजरी वर्ष 2012 की ही है, इसलिये इन गांवों के ग्राम प्रधान और निवासियों ने भी कहा है कि बें 20 वर्षों से अधिक समय से यहां निवास कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। वर्तमान तक प्रकाश में आये अतिक्रमण 3.901 है० के सापेक्ष 3.7748 है० क्षेत्र को विभागीय कार्यवाही कर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, तथा शेष 0.1262 है० वन क्षेत्र में पक्का मकान/निर्माण पाया जाने के कारण विभागीय एच-2 केस दर्ज करते हुये सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 61(बी) के तहत नोटिस इजरा किये गये हैं था अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त का अनुश्रवण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में तैनात रहे सम्बन्धित बीट प्रभारियों/सेक्शन प्रभारियों/क्षेत्रीय वनाधिकारियों से प्रभागीय वनाधिकारी, शामली के स्तर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शीघ्र ही प्रश्नगत अतिक्रमण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

III- अवगत कराना है कि शेष 350 गाठा संख्याओं का सर्वे सीमांकन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा उप जिलाधिकारी, कैराना व जिलाधिकारी, शामली से मिलकर लिखित रूप से उक्त सर्वे को पूर्ण करने हेतु टाईमलाईन जारी करायी गयी है। साथ ही सर्वे करने हेतु तहसीलदार, कैराना स्तर से संयुक्त रूप से टीम का गठन किया गया है (संलग्नक-4)। प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा दायर किये गये प्रतिशपथ पत्र में सर्वे का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 177 दिन (25 सप्ताह) का समय मांगा गया है।

IV- अवगत कराना है कि यह कि दिनांक 27.02.2025 के बाद पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा तहसीलदार एवं एस०डी०एम० से सम्पर्क कर लिखित रूप से शेष बचे खसरा नम्बरों का सीमांकन किये जाने हेतु एक टाईमलाईन निर्धारित की गयी थी, परन्तु राजस्व विभाग का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सर्वे कार्य अपेक्षित समय के अनुसार नहीं हो सका। मात्र 22 खसराओं का ओर सर्वे/सीमांकन हो पाया है। इस प्रकार अभी तक कुल मिलाकर 526 के विरुद्ध 176 खसराओं का सर्वे कार्य पूर्ण हो सका है। इस दौरान कुल 3.9010 है० वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। जिस पर अभी तक विधिक कार्यवाही करते हुए, 3.7748 है० कब्जा मुक्त कराते हुए अपने अधिकार में ले लिया है। मात्र 0.1262 है० आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का मकान/निर्माण पाया जाने पर विभागीय एच-2 केस दर्ज करते हुये सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 61(बी) के तहत नोटिस इजरा किये गये हैं।

बिन्दु संख्या-(सी)-प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को इस कार्यालय के पत्रांक (1)249/35-3 दिनांक 14.08.2024, (2)पत्रांक 386/2-1 दिनांक 09.09.2024, (3)पत्रांक 644/35-3 दिनांक 19.10.202 एवं (4)पत्रांक 645/35-3 दिनांक 19.10.2024 तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के (1)पत्रांक 2715/35-3 दिनांक 05.03.2025, (2)पत्रांक 3225/35-3 दिनांक 14.04.2025, (3)पत्रांक 3542/35-3(NGT) दिनांक 08.05.2025, (4)पत्रांक 3636/35-3 दिनांक 15.05.2025 एवं (5)पत्रांक 3663/35-3 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्रकरण में सर्वे डिमार्केशन कराये जाने तथा पाये गये अतिक्रमण को खाली कराये जाने सम्बन्धी प्रगति सूचना से इस कार्यालय एवं उच्च स्तर को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु इनके द्वारा कोई भी प्रगति सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके कारण इस सम्बन्ध में उच्च स्तर को प्रगति

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ। कोर्ट केस

पत्रांक-3467/6ई-2-एन.जी.टी.

लखनऊ, दिनांक, मई 24, 2025

सेवा में,

श्री एन०के०जानू,
मुख्य वन संरक्षक (पर्यवेक्षक अधिकारी),
पश्चिमी जोन, मेरठ।



विषय- मा० एन०जी०टी० में दायर ओ०ए० संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनिशन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1. इस कार्यालय का पत्रांक-को०के० 3318/6ई-2(एन.जी.टी.) दि० 14.05.2025
2. आपका पत्रांक-1891/35-3, दि० 23.05.2025 (स्कैन प्रति ई-मेल पर)।

महोदय,

विषयक प्रकरण शामिल वन-प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि के अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 में किये गये observation व आदेशों पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 14.05.2025 से Action taken report आदि मांगी गई थी, जिसपर आप द्वारा अपने पत्रांक-1891/35-3, दि० 23.05.2025 से जो आख्या भेजी गई, का अवलोकन एवं परिशीलन पश्चात प्रथम दृष्टया निम्न कमियां प्रकाश में आई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

2. आपके उक्त पत्र दिनांक 23.05.2025 में उल्लेख है

".....के 1-बिन्दु संख्या-(ए)-उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी शामिल द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में वृत्त एवं जोन कार्यालय को पूर्व में संसूचित नहीं किया गया.....।"

(अ) शामिल वन प्रभाग में उक्त पर पाये गये अतिक्रमण को संसूचित नहीं किया गया पर प्रभागीय वनाधिकारी, शामिल वन प्रभाग, शामिल पर आपके स्तर से परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व के रूप में क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी तथा पाये गये अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी/सेक्शन अधिकारी/बीट अधिकारी पर आप मुख्य वन संरक्षक, मेरठ जोन मेरठ एवं आपके अधीनस्थ वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा जैसे आरोप पत्र/कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण जो आपके स्तर से नियंत्रक अधिकारी के रूप में जो भी कार्यवाही की गयी है, उसके अभिलेख अपनी आख्या के साथ उपलब्ध कराये।

3. आपके उक्त पत्र दिनांक 23.05.2025 में

".....के 1-बिन्दु संख्या-(ए) के पैरा-2 में वर्णित तालिका के कालम-2 में ग्राम दमेडी बुर्जुग, बीबीपुर जलालाबाद, वरनावी, पावटी खुर्द एवं बीबीपुर हटिया (05 ग्राम) में कमशः 2.7719 हे०, 0.3761 हे०, 0.3342 हे०, 0.1566 हे० एवं 0.136 हे० जो अतिक्रमण खाली कराया गया, उसका विवरण तालिका कालम-7 में दर्शाया गया है.....।"

(अ) उक्त के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व के रूप में आपके स्तर से शामिल वन प्रभाग में पाये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, सहारनपुर/प्रभागीय वनाधिकारी, शामिल/क्षेत्रीय वनाधिकारी/सेक्शन अधिकारी/बीट अधिकारी आदि के विरुद्ध विभिन्न शासनादेशों/उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 आदि के अनुसार जो भी कार्यवाही की गयी हो और इसे आप द्वारा अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को संदर्भित किया गया हो, सुसंगत अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये।

4. आपके उक्त पत्र दिनांक 23.05.2025 के बिन्दु संख्या-2 के पैरा-(ii) में उल्लेख है कि

".....वनभूमि पर किसी भी अतिक्रमण का पता राजस्व और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उचित सर्वेक्षण एवं सीमांकन के बाद ही लगाया जा सकता है। चूंकि उपलब्ध गूगल अर्थ इमेजरी वर्ष 2012 की ही है, इसलिये इन गांवों के ग्राम प्रधान और निवासियों ने भी कहा है कि वे 20 वर्षों से अधिक समय से यहां निवास कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं.....।"

(अ) उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपकी रिपोर्ट में वर्ष-2012/20 वर्षों से अधिक समय से यहां निवास कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं आप द्वारा परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व के रूप

में आपके स्तर से उक्त अवधि में वन संरक्षक, सहारनपुर/प्रभागीय वनाधिकारी, शामली/क्षेत्रीय वनाधिकारी/सेक्शन अधिकारी/बीट अधिकारी आदि के विरुद्ध विभिन्न शासनादेशों/ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 आदि के अनुसार जो भी कार्यवाही की गयी हो और इसे आप द्वारा अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को संदर्भित किया गया हो, सुसंगत अभिलेखों के साथ उपलब्ध करायें।

ज्ञातव्य है कि आप मा0 न्यायालय में शासनादेश संख्या-166/14-2-405(2)/1995 दि0 02.03.1995 के अनुसार क्षेत्र के अन्तर्गत योजित होने वाले वादों के पर्यवेक्षक अधिकारी है। प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण एवं मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 29.05.2025 से पूर्व दिनांक 26.05.2025 तक अधोहस्ताक्षरी की ओर से वाद का स्टेटस एवं A.T.R. आदि शपथ-पत्र के रूप में दाखिल किया जाना है।

अतः यह आवश्यक है कि आप उक्त बिन्दु 2, 3 व 4 तक की सूचना एवं अन्य सुसंगत अभिलेख इस कार्यालय को दिनांक 26.05.2025 के पूर्वाहन तक उपलब्ध करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न होने पाए।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार (स्कैन प्रति ई-मेल पर)।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या-3467 / (1) तददिनांकित ।

प्रतिलिपि-उक्त प्रकरण जो शामली वन प्रभाग में वनभूमि के अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित है, में संदर्भित पत्रों दिनांक 14.05.2025, 23.05.2025 एवं एन0जी0टी0 का आदेश दिनांक 27.02.2025 की प्रतियाँ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित) उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित), उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार (स्कैन प्रति ई-मेल पर)।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।



o/c

Email done on 24.05.2025

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
पत्रांक 1904 / 35-3, मेरठ दिनांक 26 मई 2025।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ
इण्डिया व अन्य के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक को0के0 3467/6ई-2 (एन0जी0टी0), दिनांक 24.05.2025
महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28.09.2011 को प्रबुद्धनगर नामक एक नया जिला सृजित किया गया जिसमें जिला मुजफ्फरनगर की तहसील शामिल एवं कैराना के समस्त क्षेत्र समाविष्ट किये गये, जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन वन अनुभाग-1 की पत्र संख्या-2424/14-1-2011-30(29)/2011, दिनांक 08.06.2012 को प्रबुद्धनगर वन प्रभाग का गठन किया गया, जो वर्तमान में शामिल वन प्रभाग के नाम से प्रचलित है।

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.05.2025 के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

2. (अ) वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्रांक 3735/2-1, दिनांक 23.05.2025 द्वारा प्रेषित श्री जगदेव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, शामिल वन प्रभाग, शामिल के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के आलेख को इस कार्यालय के पत्रांक-1893/35-3, दिनांक 23.05.2025 (संलग्नक-1) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री कृष्णकान्त चक्रवर्ती, क्षेत्रीय वन अधिकारी व श्री राजेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के आलेख भी इस कार्यालय के पत्रांक-1893/35-3, दिनांक 23.05.2025 के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किये गये हैं (संलग्नक-2 व 3)।

शामली वन प्रभाग, शामिल के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी, शामिल वन प्रभाग, शामिल के पत्रांक 2279/2-42, दिनांक 24.05.2025 के क्रम में श्री सत्येन्द्र सिंह व श्री वंश मलिक, वन दरोगा, तथा श्री सन्दीप राणा, जोगेन्द्र कुमार एवं विपिन कुमार, वन रक्षक के विरुद्ध वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के क्रमशः पत्रांक 3740/2-42, दिनांक 24.05.2025 (संलग्नक-4) एवं पत्रांक 3741/2-42, दिनांक 24.05.2025 (संलग्नक-5) तथा पत्रांक 3742/2-42, दिनांक 24.05.2025 (संलग्नक-6) द्वारा आरोप-पत्र में जाँच अधिकारी नामित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

3. (अ) शामिल वन प्रभाग, शामिल के अन्तर्गत अतिक्रमण प्रकाश में आने के पश्चात कर्तव्य पालन में उदासीनता बरतने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है। इसका विवरण बिन्दु संख्या-2 (अ) में दिया गया है।

4. (अ) शामिल वन प्रभाग, शामिल द्वारा पूर्व में अतिक्रमण सूचित न किये जाने/प्रकाश में न आने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही पूर्व में नहीं की जा सकी है। प्रकरण प्रकाश में आने के उपरान्त बिन्दु संख्या-2 अ के अनुसार कार्यवाही की गयी है। इनसे सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है।

इस संबंध में यह भी सादर अवगत कराना है कि वन भूमि पर किसी भी अतिक्रमण का पता राजस्व और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उचित सर्वेक्षण एवं सीमांकन के बाद ही लगाया जा सकता है। चूंकि उपलब्ध गूगल अर्थ इमेजरी (Google Earth Imagery) वर्ष 2012 की ही है और इन गांवों के ग्राम प्रधान और निवासियों ने भी कहा है कि वे 20 वर्षों से अधिक समय से यहां निवास और खेती भी कर रहे हैं। वर्तमान तक प्रकाश में आये अतिक्रमण 3.901 है0 के सापेक्ष 3.7748 है0 क्षेत्र को विभागीय कार्यवाही कर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, तथा शेष 0.1262 है0 वन क्षेत्र में पक्का मकान/निर्माण पाया जाने के कारण विभागीय एच-2 केस दर्ज करते हुये सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध

भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 61(बी) के तहत नोटिस इजरा किये गये हैं। अतः वर्तमान में चिन्हित 3.901 हे० में सलिप्तता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त क्रम में Action taken रिपोर्ट निम्नवत है :-

- (1) 0.1262 है वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये 16 व्यक्तियों के विरुद्ध 03 एच-2 केस भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।
- (i). भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 12/2024-25 दिनांक 12.11.2024, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). सुनील कुमार पुत्र वृजपाल (2) जगवीर पुत्र राज सिंह (3) रमेश चन्द्र पुत्र रतन सिंह।
- (ii) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 13/2024-25 दिनांक 2.12.2024, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). कमल पुत्र होता (2) हरदीप पुत्र चैनसिंह (3) संदीप पुत्र वलिहर सिंह, (4) रणजीत सिंह पुत्र आलम जीत सिंह (5) देशपाल पुत्र ब्रजपाल।
- (iii) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के अन्तर्गत एच-2 केस संख्या 17/2024-25 दिनांक 26.03.2025, पंजीकृत किया गया है। अपराधी (1). जगपाल पुत्र रहतू (2) मांगा पुत्र रामा (3) कबिता पत्नी प्रेम (4) मांगा पुत्र आशा (5) मोहर सिंह पुत्र आशा (6) मुकेश पुत्र सीरया (7) विलेन्द्र पुत्र जगदीश (8) रामफल पुत्र रामा।

उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत करने के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली के स्तर से अपराधियों को नोटिस जारी करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-7)

इस विषय में यह भी सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में प्रतिशपथ पत्र दिनांक 24.05.2025 को दाखिल करा दिया गया है। (संलग्नक-8)

इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषयक प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक-1891/35-3, दिनांक 23.05.2025 एवं पत्रांक-1896/35-3 (एन0जी0टी0), दिनांक 24.05.2025 द्वारा विस्तृत सूचना आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)

मुख्य वन संरक्षक,

पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

पत्रांक 1904 / 35-3 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(एन0के0जानू)

मुख्य वन संरक्षक,

पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।

पत्रांक 1093 /35-3, मेरठ दिनांक 23/05/2025।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- श्री जगदेव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को कारण बताओं नोटिस निर्गत करने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का पत्रांक 3735/2-1, दिनांक 23.05.2025।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के द्वारा श्री जगदेव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को कारण बताओं नोटिस का आलेख प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री जगदेव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, शामली का कारण बताओं नोटिस का आलेख संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओं नोटिस अपने स्तर से निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

पत्रांक 1093 /35-3 तददिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक / लखनऊ, दिनांक मई 2025।

सेवा में,

श्री जगदेव सिंह,
प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग, शामली।

द्वारा:- वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषय:- कारण बताओं नोटिस।

वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्रांक 2715/35-3, दिनांक 05.03.2025 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के अनुपालन में आपको अग्रतः कार्यवाही/समस्त विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आप द्वारा प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि पर हुये अतिक्रमण के सम्बन्ध में वृत्त एवं जोन कार्यालय को सूचित नहीं किया गया। मा0 एन0जी0टी0 में ओ0ए0 संख्या-915/2024 दायर होने के उपरान्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर कराने हेतु मौखिक एवं लिखित रूप से आपको निर्देशित किया जाता रहा है। इस क्रम में निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा आपको स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

1. पत्रांक 2715/35-3, दिनांक 05.03.2025 द्वारा आपको निर्देशित किया गया कि वाद की निर्धारित नियत तिथि से पूर्व प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये समस्त विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. पत्रांक 3225/35-3, दिनांक 14.04.2025 द्वारा आपको उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रगति, यथा वन क्षेत्रों का तत्काल सर्वे एवं डिमार्केशन कराये जाने, अतिक्रमण एवं अतिक्रमण को खाली कराये जाने सम्बन्धी प्रगति सूचना प्रेषित न किये जाने की दशा में अपना एवं अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारियों एवं सम्बन्धित स्टाफ का स्पष्टीकरण तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. पत्रांक 3542/35-3, दिनांक 8.05.2025 द्वारा आपको निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के 02 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आपके स्तर से कोई टोस कार्यवाही नहीं किये जाने, प्रकरण में वर्तमान स्थिति से इस कार्यालय एवं मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक को अवगत न कराये जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने, राजकीय कार्यों के सम्पादन में शिथिलता बरते जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।
4. पत्रांक 3636/35-3, दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रकरण में टोस कार्यवाही न किये जाने प्रकरण की अद्यतन स्थिति से मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक इस कार्यालय को अवगत न कराये के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।

वन संरक्षक, सहारनपुर के स्तर से उक्तानुसार अनेक पत्रों द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से सूचित किये जाने, वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने एवं खाली कराये जाने हेतु आपको निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा प्रकरण में घोर लापरवाही बरती गई एवं आप वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं उसे खाली कराये जाने में अक्षम रहे हैं, इसलिये क्यों न आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायें।

अतः अपना तथ्यात्मक उत्तर दो दिन के भीतर वन संरक्षक, सहारनपुर के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, आपका उत्तर संतोषजनक न पाये जाने एवं नियत समय सीमा के भीतर न प्राप्त होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को उक्त "कारण बताओ नोटिस" की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक प्रति श्री जगदेव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को हस्तगत/तामिल कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति रसीद लेकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक / लखनऊ, दिनांक मई 2025।

सेवा में,

श्री कृष्णकान्त चक्रवर्ती,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ऊन रेंज।

द्वारा:- प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग, शामली।

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

वन संरक्षक, सपत्रांक 2715/35-3, दिनांक 05.03.2025, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही/समस्त विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण जो उनके कार्यालय पत्रांक 2241/14-1 दिनांक 20.05.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है के बिन्दु संख्या-2, में उल्लेख किया गया है कि इसके पूर्व वन क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध कटान की कोई भी सूचना रेंज स्तर से प्रभागीय कार्यालय को सूचित नहीं की गयी है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-915/2024 दायर होने के उपरान्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर करने हेतु मौखिक एवं लिखित रूप से प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया जाता रहा है। इस क्रम में निम्नांकित पत्रों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

1. पत्रांक 2715/35-3 दिनांक 05.3.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया गया कि वाद में नियत तिथि से पूर्व प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये समस्त विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. पत्रांक 3225/35-3 दिनांक 14.04.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रगति, यथा वन क्षेत्रों का तत्काल सर्वे एवं डिमार्केशन कराये जाने, अतिक्रमण एवं अतिक्रमण को खाली कराये जाने सम्बन्धी प्रगति सूचना प्रेषित न किये जाने की दशा में अपना एवं अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारियों एवं सम्बन्धित स्टाफ का स्पष्टीकरण तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. पत्रांक 3542/35-3 दिनांक 8.05.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के 02 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रभाग एवं रेंज स्तर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने, प्रकरण में वर्तमान स्थिति से प्रभागीय कार्यालय को अवगत न कराये जाने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने, राजकीय कार्यों के सम्पादन में शिथिलता वरते जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।
4. पत्रांक 3636/35-3 दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रकरण में ठोस कार्यवाही न किये जाने प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी एवं उच्च स्तर को अवगत न कराये के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।
5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 30.07.2024 अनुपालन में ऊन रेंज के अन्तर्गत योजित वाद में सम्मिलित ग्रामों के अन्तर्गत वन भूमि का सर्वे/सीमांकन दिनांक 23.09.2024 से शुरू कराया गया, तो ऊन रेंज में वन भूमि पर 3.3038 हे0 अतिक्रमण पाया गया है व 0.1262 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का मकान/निर्माण पाया है और अभी भी सीमांकन कार्य शेष है, जिस पर और भी अतिक्रमण पाये जाने की सम्भावना है। आप अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाहन परम सत्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से नहीं किया। प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा अपने पत्रांक 2081/14-1, दिनांक-15.04.2025 द्वारा आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो आज तक प्रभागीय कार्यालय, शामली में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आप अवगत है कि कोई नया अतिक्रमण अमान्य व अक्षम्य है, एवं किसी भी स्तर से लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। वन संरक्षक, सहारनपुर के स्तर से उक्तानुसार अनेक पत्रों द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से सूचित किये जाने, वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने एवं खाली कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारीक शामली को निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा प्रकरण में घोर लापरवाही वरती गई एवं आप वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं उसे खाली कराये जाने में अक्षम रहे हैं।

अपना तथ्यात्मक उत्तर तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, आपका उत्तर संतोषजनक न पाये जाने एवं नियत समय सीमा के भीतर न प्राप्त होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली उक्त "कारण बताओ नोटिस" की दो अतिरिक्त प्रतियों संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक प्रति श्री कृष्णकान्त चक्रवर्ती, क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन रेंज को हस्तगत/तामिल कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति रसीद लेकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक / लखनऊ, दिनांक मई 2025।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कैराना रेंज।

द्वारा:- प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग, शामली।

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

वन संरक्षक, सपत्रांक 2715/35-3, दिनांक 05.03.2025, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही/समस्त विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण जो उनके कार्यालय पत्रांक 2241/14-1 दिनांक 20.05.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है के बिन्दु संख्या-2, में उल्लेख किया गया है कि इसके पूर्व वन क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध कटान की कोई भी सूचना रेंज स्तर से प्रभागीय कार्यालय को सूचित नहीं की गयी है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-915/2024 दायर होने के उपरान्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर करने हेतु मौखिक एवं लिखित रूप से प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया जाता रहा है। इस क्रम में निम्नांकित पत्रों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. पत्रांक 2715/35-3 दिनांक 05.3.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया गया कि वाद में नियत तिथि से पूर्व प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये समस्त विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. पत्रांक 3225/35-3 दिनांक 14.04.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रगति, यथा वन क्षेत्रों का तत्काल सर्वे एवं डिमाकेशन कराये जाने, अतिक्रमण एवं अतिक्रमण को खाली कराये जाने सम्बन्धी प्रगति सूचना प्रेषित न किये जाने की दशा में अपना एवं अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारियों एवं सम्बन्धित स्टाफ का स्पष्टीकरण तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8. पत्रांक 3542/35-3 दिनांक 8.05.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली को निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के 02 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रभाग एवं रेंज स्तर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने, प्रकरण में वर्तमान स्थिति से प्रभागीय कार्यालय को अवगत न कराये जाने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने, राजकीय कार्यों के सम्पादन में शिथिलता वरते जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।
9. पत्रांक 3636/35-3 दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रकरण में ठोस कार्यवाही न किये जाने प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी एवं उच्च स्तर को अवगत न कराये के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।
10. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 30.07.2024 अनुपालन में ऊन रेंज के अन्तर्गत योजित वाद में सम्मिलित ग्रामों के अन्तर्गत वन भूमि का सर्वे/सीमांकन दिनांक 23.09.2024 से शुरू कराया गया, तो कैराना रेंज में वन भूमि पर 0.4702 हे0 अतिक्रमण पाया गया है और अभी भी सीमांकन कार्य शेष है जिस पर और भी अतिक्रमण पाये जाने की सम्भावना है। आप अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाहन परम सत्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से नहीं किया। प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा अपने पत्रांक 2081/14-1, दिनांक-15.04.2025 द्वारा आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो आज तक प्रभागीय कार्यालय, शामली में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आप अवगत है कि कोई नया अतिक्रमण अमान्य व अक्षम्य है, एवं किसी भी स्तर से लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। वन संरक्षक, सहारनपुर के स्तर से उक्तानुसार अनेक पत्रों द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से सूचित किये जाने, वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने एवं खाली कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारीक शमली को निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा प्रकरण में घोर लापरवाही वरती गई एवं आप वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं उसे खाली कराये जाने में अक्षम रहे हैं, इसलिये क्यों न आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

अपना तथ्यात्मक उत्तर तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, आपका उत्तर संतोषजनक न पाये जाने एवं नियत समय सीमा के भीतर न प्राप्त होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

4. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शमली वन प्रभाग, शमली उक्त "कारण बताओ नोटिस" की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक प्रति श्री राजेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज को हस्तगत/तामिल कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति रसीद लेकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)

प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0, उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 3740 /2-42 दिनांक, सहारनपुर 24/5/2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, (नाम से)
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

विषय:- श्री सत्येन्द्र सिंह, वनदरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में आरोप-पत्र।
महोदय,

श्री सत्येन्द्र सिंह, वनदरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में प्राप्त आरोप-पत्र का अनुमोदन कर के आरोप-पत्र दो प्रतियों में संलग्नकों सहित संलग्नकर आपको भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के प्राविधानों के सुसंगत नियमों के तहत प्रश्नगत मामले में आपको पदेन जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त मामले में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 11.08.2015 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर के जॉच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। उक्त अनुमोदित आरोप-पत्र श्री सत्येन्द्र सिंह, वनदरोगा को तत्काल प्राप्त कराकर उसकी प्राप्ति रसीद दिनांक रहित लेकर इस कार्यालय को भेजें। प्रश्नगत मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया जाता है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०के०जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 3740 /2-42 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को उनके पत्रांक 2279/2-42, दिनांक 24.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री सत्येन्द्र सिंह, वनदरोगा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

(एन०के०जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

0/L

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
पत्रांक 3741/2-42 दिनांक, सहारनपुर 24/5/2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, (नाम से)
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

विषय:- श्री वंश मलिक, वनदरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में आरोप-पत्र।
महोदय,

श्री वंश मलिक, वनदरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में प्राप्त आरोप-पत्र का अनुमोदन कर के आरोप-पत्र दो प्रतियों में संलग्नकों सहित संलग्नकर आपको भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के प्राविधानों के सुसंगत नियमों के तहत प्रश्नगत मामले में आपको पदेन जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त मामले में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 11.08.2015 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर के जॉच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। उक्त अनुमोदित आरोप-पत्र श्री वंश मलिक, वनदरोगा को तत्काल प्राप्त कराकर उसकी प्राप्ति रसीद दिनांक रहित लेकर इस कार्यालय को भेजें। प्रश्नगत मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया जाता है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0क0जानू)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 3741/2-42 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को उनके पत्रांक 2279/2-42, दिनांक 24.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री वंश मलिक, वनदरोगा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

(एन0क0जानू)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
पत्रांक 3742 /2-42 दिनांक, सहारनपुर 24/5/2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, (नाम से)
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

विषय:- श्री सन्दीप राणा, वन रक्षक, श्री जोगेन्द्र सिंह, वन रक्षक एवं श्री विपिन कुमार, वन रक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के आरोप-पत्र में जाँच अधिकारी नामित किये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली का पत्रांक 2278/2-42, दिनांक 25.05.2025

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री सन्दीप राणा, वन रक्षक, श्री जोगेन्द्र सिंह, वन रक्षक एवं श्री विपिन कुमार, वन रक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में आरोप-पत्र की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-1 की शासनादेश संख्या-08/2022 /725/सैंतालिस/का-1-2022/13(2)/2022 दिनांक 19.07.2022 के प्राविधानों के तहत प्रश्नगत मामले में आपको पदेन जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त मामले में नियमानुसार जाँच कार्यवाही पूर्ण कर के जाँच रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एन0के0जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 3742/2-42 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को उनके पत्रांक 2278/2-42, दिनांक 24.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री सन्दीप राणा, वन रक्षक, श्री जोगेन्द्र सिंह, वन रक्षक एवं श्री विपिन कुमार, वन रक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

(एन0के0जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

संख्या - 7 (1)

प्रपत्र-11

नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2230/14-1 दि० 16/5/2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शा.प्र.मं. वन प्रभाग - शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

शुनील कुमार 510 बुधपाल

ग्राम - शिवनगा मजरा ग्राम पन्थापत जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 12/24-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा नं. 125 क्षेत्रफल 0.0612 बीघा/ग्राम शिवनगा तहसील जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/5/25 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं. 2229/14-1 दि. 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शा.स.ली. वन प्रभाग-शामली
पत्रांक.

सेवा में.

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

जपवीर पुत्र शंकर

ग्राम - शिवनगर मजरा ग्रामपंचायत जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 12/24-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 125 क्षेत्रफल 0.0612 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील कुरुवा जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।


(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शा.स.ली. वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर





प्रपत्र-11

नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2228/14-1 प्र-16-5-2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, शासकीय वन प्रशासन, शासकीय
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

श्रीमती सुजा रतनसिंह


ग्राम - गिरिवनगर मझरा ग्राम पंचायत बीबीपुर जवालाबाद तहसील जिला अमली

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज कंस सं. 12/2021/2021 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन को गाटा सं. 125 लेटरफल 0.0.0.12 मौजा/ग्राम गिरिवनगर तहसील जिला अमली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध को जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्गित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2021 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जावेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. जी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी



कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2210/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में


सन्दीप पुत्र बालिहा
श्री २२१०/१४-१

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16.05.25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2209/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में

हरदीप पाल - चेनसिंह


दादाजी बुजुर्ग

वनाग 3090 सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/25 को उक्त में कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2211/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में

राजसिंह पुल आलमजीन


जन्म- 19/05/1977

बनाम- उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 22/2/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में

देशपाल पुल आलमवीर

मुण्डरकला तहसील - शामली

वनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 वी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

दिनांक - 22/05/2024

दिनांक 16-05-2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शांभल वन प्रभाग शांभल
पत्रांक

तेषा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

डा. श्यामल पुत्रा रहलु

ग्राम लीकीपुर, जलालाबाद मंडल शिवनगर

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 1/न/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 1.3.3 क्षेत्रफल 0.0.6.5.0 मोजा/ग्राम लीकीपुर, जलालाबाद सहस्रील देहरादून जिला शांभल में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25/05/2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिकारता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 वी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. जी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शांभली वन प्रभाग
शांभली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

प्रपत्र-11

दिनांक - 22/06/2021

दिनांक 16-05-2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

शामली पुत्र रामशामली पुत्र जलालाबाद मजरा शिवनगर

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं/प्र/2021-22 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 173 क्षेत्रफल 0.0650 मोजा/ग्राम शामली पुत्र जलालाबाद तहसील शामली जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2021 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभागशामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं०- 2225/14-16-05-2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शांतिवन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

व्यक्तिता पं० उम

ग्राम शिवनगर तहसील देहरादून जिला शामली


आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं./H/2024/20 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 173 क्षेत्रफल 0.0658 नौजा/ग्राम शिवनगर तहसील देहरादून जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी.रिह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शांतिवन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं०-2224/14-1 दि०-16-5-2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

मार्गा पुडा झामा

शामली जिला प्रभाग शामली

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 17/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 153 क्षेत्रफल 0.0650 मोजा/ग्राम शिवनारा तहसील चमरा जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 28/05/2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी.रिड)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पतांक सं- 2223/14-1 दि- 16-03-2028

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पतांक:

सेवा में,

प्रतिपक्षी (मान व पता)

प्रो. श्री. श्री. पुजा झाग्राम शिवनगर गजरा ग्राम पंचायत खीडीपट्टा जिला गोरखपुर

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं/15/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं.1.1.3..... क्षेत्रफल 5.0650 मोजा/ग्राम शिवनगर तहसील गोरखपुर जिला शामली में अवैध कच्चा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कच्चा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक . 2222/14-1

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नान व पता)

भुवनेश्वर प्रजा सीरियाशाह गिरानगर भुवनेश्वर प्रजा पंचायत काशीगढ़ जलोटा बाग

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 13/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं.153..... क्षेत्रफल 0.0656..... मौजा/ग्राम श्रीवाहनगर..... तहसील वेदखली..... जिला शामली..... में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।


आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024-25 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखली किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभागशामली

प्रभाग की सील नोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2281/1411

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक शाश्वती वन प्रभाग शांभली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

विलेन्ड पुडा जगदीश्वरग्राम अिलनगर मजरा ग्राम पंचायत हीदीपुर जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज कंस सं/14/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 1.5.3 क्षेत्रफल 0.1.6.6.56. मौजा/ग्राम शिवपुरा तहसील देहरादून जिला शांभली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जांच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिकारता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. गिरुह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शाश्वती वन प्रभाग
कराना

प्रभाग की सील नोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2220/141

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शासकीय वन प्रभाग शासकीय
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (चान व पता)

रांभण पुत्र शिवा

गाँव शिवनगर प्रशासक गाँव पंचायत सीपीएट जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं/स/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाँव सं/स/2024-25 क्षेत्रफल 0.0650... नौजा/ग्राम शिवनगर तहसील खराना जिला शासकीय में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा दिधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

()
प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग

प्रभाग की सील में



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(S)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF FSI REPORT ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	THE DETAIL OF THE SURVEYED LAND, LEGAL PROCEEDINGS AND PHOTOGRAPHS FOR THE SAME ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	THE PHOTOGRAPHS OF THE PROTECTIVE TRENCHES ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE H-2 CASES ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE 4	
6.	A COPY OF THESE PROCEEDINGS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE- 5	

7.	A COPY OF SHOW CAUSE NOTICES ISSUED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF TIMELINE ANNEXED HEREWITH AND MARKED as ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF LETTER FROM REVENUE DEPARTMENT ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	PHOTOGRAPHS FROM GOOGLE EARTH IMAGE, STATEMENTS OF THE SURVEY TEAM, GRAM PRADHAN AND OTHERS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURES-9	
11.	A COPY OF THE NOTIFICATION OF RESERVED FOREST U/S 4 AND 20 OF THE IFA, 1927 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-10	
12.	A COPY OF THESE CORRESPONDENCE IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-11	


THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
 STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:
 PLACE:

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:
AMIT KUMAR



VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.


...APPLICANT(S)
...RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE
OF ORDER DATED 27.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Jag dev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad

Posted as Divisional forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly
state and affirm as under:

1. That I, Jag dev Singh, am fully conversant with the facts of the case
and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That in the present matter the Petitioner has alleged rampant deforestation
and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in Bibipur
Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur, Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti
and Rataund villages of Shamli District, Uttar Pradesh.



3. That on the last date of hearing i.e. 27.02.2025, the Hon'ble tribunal directed the Deponent to file the present affidavit keeping in view the observations made by the Hon'ble Tribunal. The operative paragraph of the order dated 27.02.2025 is stated below:

"...4. In the affidavit, it is not mentioned how these encroachments had taken place when it was the responsibility of the forest officers to protect the reserved forest. Learned Counsel appearing for Respondent No. 7 does not dispute that it was the responsibility of the DFO, Shamli to ensure that no encroachment in the reserved forest within his jurisdiction takes place. The overall responsibility of the PCCF of the State is also not in dispute. Hence, Respondent No. 3- PCCF and Respondent No. 7-DFO, Shamli, will file an affidavit furnishing the explanation as to how the encroachment had taken place in the reserved forest and who is the official responsible for facilitating such encroachment or on whose dereliction of duties it has taken place. They will also disclose the timeline for completing the survey for identification of encroachment in the entire reserved forest land under question and clearing the encroachment. It is submitted by the counsel for Respondent No. 7 that this exercise will be completed within twelve weeks. Hence, we direct, the above Respondents to take expeditious action and file the compliance affidavit, keeping in view the

observations made above, within a period of six weeks ..."

4. That the actions taken and the explanations regarding the observations made by the Hon'ble Tribunal are as follows:

I BACKGROUND AND DETAILS

5. The total area of reserve forest land in Shamli is 4341.395 hectares out of which 279.477 ha area has been notified under Section 20 of the Indian Forest Act 1927, and 4061.918 ha area notified under section 4 of Indian Forest Act 1927 is under forest settlement process.
6. The petitioner has raised question of encroachment in seven villages of forest land in Shamli forest division, which are following.

S.N.	Village name as mentioned in O.A. 915/2024	Total number of khasra of the forest department as mentioned in OA 915/2024	Forest land area in total khasra as mentioned in OA 915/2024, (in Ha)	Total forest land notified u/s 20 of IFA, 1927 (in Ha)	Total forest land notified u/s 4 of IFA, 1927 (in Ha)
1-	Bibipur Jalalabad	70	113.999	113.999	-
2-	Paoti khurd	96	127.566	127.566	-
	Total	166	241.565	241.565	-
	Dabbedi bujurg	64	53.471	--	53.471
4-	Ratond	43	52.106	-	52.106

5-	Akbarpur sunchti	-	-	-	-
6-	Barnavi	180	117.778	-	117.778
7-	Bibipur hatia	73	40.416	-	40.416
	Total	360	263.771	241.565	263.771
	Grand total	526	505.336	241.565	263.771

7. It is pertinent to mention here that as per ISFR 2023 issued by Forest Survey of India that the forest cover in Shamli Forest Division has increased from 1.54 percent to 1.94 percent, indicating a growth of 0.40 percent of forest cover in the Geographical area of district Shamli goes against the statement by petitioner. This clearly demonstrates the positive results of afforestation in the district.

A copy of FSI report annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.



8. A brief tabular summary of the key proceedings conducted to date.

S. N.	Total number of khasras of the forest department mentioned in O.A. 915/2024	Total area of forest in 526 Khasra number (in ha)	Total number of khasras surveyed	Total area of khasras surveyed (in ha)	Total area encroached in found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)	Action taken regarding encroached land.	Remaining khasras to be surveyed	Time required for the survey of remaining khasras of the forest department
1-	526 (Total area 505.336 hectare)	1-505.336 hectare (Total forest land w/s 20 of IFA in total 166 khasra is 241.565 ha)	1-176 (66 khasra w/s 20 of IFA (area 116.457 hectare) (110 khasra w/s 4 of IFA in (area 83.009 hectare)	199.466	3.9010	3.7748	1- Proceeding w/s 61 (b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare which contain pakka makan/structure on forest land. 2- Departmental proceeding also has been initiated to seek an explanation from the concerned staff.	350 khasra (Area 305.87 hectare) (100 khasra w/s 20- 125.108ha) (250 khasra w/s. 4 -180.762ha)	1-177 Days (25 Weeks) 2- In this regard, on the request of the DFO Shamlu, DM Shamlu has fixed a timeline for the survey process)



II. ACTION TAKEN

9. That in order to address the encroachment on the forest land as mentioned by the petitioner in the present Original Application (O.A.), the Forest Department has to conduct surveys of the khasra numbers mentioned in the said O.A. in coordination and cooperation with the Revenue Department. Any encroachment and its extent can be established only after due survey.
10. The survey team was assigned by the Tehsildar (Kairana) to carry out the survey work. Till date 12-05-2025, survey of 176 Khasra numbers has been conducted by the Forest Department and the Revenue Department. These 176 Khasra no.(s) chalks upto 199.466 hectares. Out of the surveyed forest land i.e. 199.466 hectares, 3.9010 hectares of forest land was found to be encroached upon. It is pertinent to mention that the encroachment from 3.7748 hectares of forest land has been duly removed by the forest department and the land has been restored. Departmental H-2 case has been issued and proceedings u/s 61(b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare reserved forest land which contain permanent (pakka) structure/makan. That the remaining area which is to be surveyed by the Forest and the Revenue Department is 305.87 hectares in 350 Khasra are to be surveyed.


S. N.	Total number of khasras surveyed	Total area of khasras surveyed (in ha)	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)
1 -	1-176 (66 khasra u/s 20 of IFA (area 116.457 hectare) (110 khasra u/s 4 of IFA in (area 83.009 hectare)	199.466	3.9010	3.7748

The detail of the surveyed land, legal proceedings and photographs for the same are annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

11. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the restoration of the forest land is being executed by the forest department through the construction of protection trenches on the surveyed land. Furthermore, during monsoon in the month of July the Forest Department will plant saplings in this land.

The photographs of the protective trenches are annexed herewith and marked as ANNEXURE-3.

12. That to remove the encroachment from the forest land, 3 (FIR) cases have been registered against 16 individuals. Details of the Registered (FIR) cases are as follows:



- i. H-2 case no. 12/2024-25 dated 12.11.2024 has been registered under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in

2023). The case has been registered against (i) Sunil Kumar S/o Brijpal, (ii) Jagveer S/o Raj Singh, (iii) Ramesh Chandra S/o Ratan Singh.


- ii. H-2 case no. 13/2024-25 dated 02.12.2024 has been registered by the Forest Department under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in 2023) for section resume Forest land. The case has been registered against (i) Kamal S/o Hota (ii) Hardeep Singh S/o Chain Singh (iii) Sandeep S/o Balihar Singh (iv) Ranjit Singh S/o Alamjit Singh (v) Desh pal S/o Brajpal.

It is noteworthy to mention that in the above mentioned H-2 case no.13/2024-25, 1.8031 Ha land has been restored to the Forest Department.

- iii. H-2 case no. 17/2024-25 dated 26.03.2025 has been registered by the Forest Department under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in 2023). The case has been registered against (i) Jagpal S/o Rahtu (ii) Manga S/o Rama (iii) Kavita W/o Prem (iv) Manga S/o Asha (v) Mohar Singh S/o Asha (vi) Mukesh S/o Siria (vii) Bilendra S/o Jagdish (viii) Ramfal S/o Rama.

A copy of the H-2 cases are annexed herewith and marked as ANNEXURE 4.

13. Proceeding u/s 61 (b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the



remaining 0.1262 hectare land under section-20 of Reserve Forest which contain pakka makan/structure on forest land.


A copy of these proceedings are annexed herewith and marked as ANNEXURE- 5.

14. That subsequent to the registration of H-2 case against the above- mentioned Offenders, the Forest Department has issued notices to the offenders directing them to appear before the Department and show cause notices have been issued by the Range Forest Officer and subsequently by the Divisional Forest Officer, dated 16.05.2025, directing the alleged encroachers to appear before the Divisional Forest Officer and submit any valid documentary evidence in support of their claim over the encroached land, failing which appropriate eviction proceedings shall be initiated for the removal of encroachment from the forest land

A copy of show cause notices issued is annexed herewith and marked as ANNEXURE-6.

15. On the request of the DFO, DM Shamli has fixed a timeline for the survey process.

A copy of timeline annexed herewith and marked as ANNEXURE-7.



16. That protection trenches have been dug along the demarcated boundary.

17. Teams have been constituted to complete the remaining survey work.

A copy of letter from revenue department annexed herewith and marked as ANNEXURE- 8.

III. CLARIFICATIONS

18. That it is most humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that any encroachment on forest land can be ascertained only after proper survey jointly by the revenue and forest department. Since the available google earth imagery is only as back from the year 2012, the Gram Pradhan of these villages and the residents have also stated that they have been living here and practicing agriculture for more than 30 years. It is difficult to ascertain the status in the period before, that. The Google data indicates that villages of Bibipur Jalalabad, Paoti khurd, dabhedhi, Bibipur hatia, Barnawi were inhabited before 2012 and had been practicing agriculture.

Photographs from Google Earth image, statements of the Survey team, Gram Pradhan and others are annexed herewith and marked as ANNEXURES-9.

19. That in the above said circumstances, it is difficult to ascertain the official



involvement for the facilitation of any encroachments on these land.

20. That it is further submitted as per the notification of the reserved forest land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, no specific details regarding the *Khasra* no. has been provided to the Forest Department. In the notification, boundary description of the reserved forest land are only provided. Furthermore, it is submitted that the forest department does not possess the detailed records for land area notified U/S 4 IFA, 1927 nor is there any KML file available for the same. Only upon identification of these boundaries and due survey and demarcation on the ground can the corresponding KML file be accurately generated.

21. It is respectfully submitted that for the demarcation of land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, accurate information regarding village boundaries is essential to determine the 'Sihadaa' (first reference point). Only upon identification of these boundaries and due survey and demarcation on the ground can the corresponding KML file be accurately generated. It is germane to mention here that the digitization of land record is a recent practice in the forest department which started around a decade back.

A copy of the notification of reserved forest u/s 4 and 20 of the IFA, 1927 are annexed herewith and marked as ANNEXURE-10.




22. That it is of the paramount significance to mention here that to conduct the survey properly and expeditiously, of the forest land for the identification of the encroachments by the Forest Department, continuous cooperation from the revenue department is vital. Therefore it is prayed that a suitable direction for the cooperation of the revenue department may be issued to enable the forest department to identify and remove the encroachment from the forest land in time bound manner.

23. That with the cooperation of the revenue department, the survey work can be completed in approximately 25 weeks (177 days) and the actions for removal of encroachments will be taken simultaneously, subject to unavoidable circumstances. It is imperative to mention that continuous communications were done to the district Magistrate, district Shamli, U.P. vide letters with no 519/35-3 dated 27/09/24 1013/14-1 dated, 06/12/2024, 1123/14-1 dated 17/12/2024 and 1584/14-1 dated 29/01/2025 to highlight the gravity of the matter at hand and provide the solution by deputing officials to complete the work of identification of encroachment.

A copy of these correspondence is annexed herewith and marked as ANNEXURE-11.

24. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal



25. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 24 day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 25 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT


प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

24 MAY 2025

A brief tabular summary of the key proceedings-

S. No.	Details of all areas mentioned in OA 915/2024	Notified u/s 20 of Indian Forest Act		Notified u/s 20 of Indian Forest Act		Total Notified Forest Land	
		Nos.	Area (Ha.)	Nos.	Area (Ha.)	Nos.	Area (Ha.)
1.	All Plots	166	241.565	360	263.73	526	505.336
2.	Surveyed Plots	66	116.457	110	83.009	176	199.466
3.	Remaining Plots	100	125.108	250	180.762	350	305.87
4.	Encroachment Found 3.9010 Ha., which is about 2 % of the area surveyed						
5.	Action taken regarding encroached land-						
	<ul style="list-style-type: none"> 3.7748 Ha. of encroachment is removed which is 96.76 % of the total encroachment of surveyed area. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Proceeding u/s 61(b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare which contain pakka makan/ structure on forest land . 						
6.	Time required for the survey of remaining khasras of the forest department DM Shamli on the request of DFO Shamli, has fixed the timeline for the survey which takes about 25 weeks.						
7.	Other Action Taken						
	<ul style="list-style-type: none"> A Joint Team comprising officials from Revenue and Forest Department has been constituted for survey of Forest land. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Three H-2 cases for forest offences have been registered by Shamli Forest Division against various persons for encroachment of Forest land. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinary proceedings also have been initiated against the concerned officers. 						